न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–प्रियंका तलानिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः–15/2022

1. पवन कुमार पुत्र देवीलाल जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 16, अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)।
2. नीलम स्वामी पत्नी पवन कुमार जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 16, अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)।

—— प्रार्थीगण

बनाम्

1. विधा देवी पत्नी लिछमणराम जाति कुम्हार निवासी निवासी 6 पी जी एम (ढाणी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–251 'क' राज.काश्त अधिनियम

दिनांकः–28.11.2022

–::निर्णयः:–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि चक 2 पीजीएम (बी) के ग्राम 6 पीजीएम मुरब्बा नं. 38 पत्थर नं. 280/443 के किला नं. 5/1, 5/2, 6, 15, 16 में कुल 1.012 हैक्टर अनकमाण्ड मय खाला कृषि भूमि अनावेदक संख्या 1 के नाम एवं किला नं. 4/1, 4/2, 7 से 14, 17 से 20 की कुल 3.289 हैक्टर अनकमाण्ड मय खाला कृषि भूमि अनावेदक संख्या 2 राजस्थान सरकार के नाम से रकबा राज दर्ज है। उक्त वर्णित कृषि भूमि ग्राम 6 पीजीएम का मुरब्बा नं. 38, पत्थर नं. 280/443 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 26 से चिपता रास्ता आम मौका पर चालू है। आवेदकगण अपनी उक्त वर्णित कृषि भूमि किला नं.–1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2 में आवागमन/पहुंच के लिए अनावेदक सं.–1 व 2 के नाम की उक्त वर्णित कृषि भूमि उपखण्ड व तहसील अनूपगढ, भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र 2 पीजीएम (बी) के ग्राम 6 पीजीएम मुरब्बा नं. 38 पत्थर नं. 280/443 के किला नं. 5/1, 4/1 में 1 (बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है क्योंकि हमारी कृषि भूमि के लिए कोई विद्यमान स्वीकृतशुदा मार्ग नहीं है, जिस कारण आवेदकगण को आवागमन, कृषि यंत्र, कृषि उपज आदि के परिवहन में अत्यधिक परेशानी आती है। उक्त वांछित रास्ता स्वीकृत होने [illegible] स्थित व चालू सड़क मार्ग से जुड़ जायेगी और प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि [illegible] /पहुंच के लिए मार्ग उपलब्ध हो सकेगा जो लघुत्तम, सुगम, आत्यांतिक आवश्यकता [illegible] जिसके लिए आवेदक नियमानुसार अवधारित प्रतिकर राशि/डीएलसी [illegible] गुणा प्रतिकर राशि संदाय अनावेदक सं. 1 व 2 को करने को तैयार है।

यह कि करीब छः रोज पूर्व आवेदक ने अपनी उक्त कृषि भूमि के लिए उक्त अनावेदक सं.–1 व श्रीमान् तहसीलदार (राजस्व व भू.अ.) से वांछित/प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत करवाने व इसका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन के लिए लिए आग्रह किया तो वह स्पष्ट इंकार हो गये तथा श्रीमान् तहसीलदार साहब ने माननीय न्यायालय से रास्ता स्वीकृत करवाने का निर्देश दिया। यही वाद कारण आवेदकगण को अनावेदकगण के विरूद्ध प्राप्त है जो आवेदन पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.01.03 14:19:53 IST
Reason: SelfAttested

अतः आवेदन–पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक की ग्राम 6 पीजीएम मुरब्बा नं. 38 पत्थर नं. 280/443 के किला नं.–1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2 में आवागमन /पहुंच के लिए अनावेदक सं. 1 व 2 की कृषि भूमि चक–2 पीजीएम (बी) के ग्राम 6 पीजीएम मुरब्बा नं. 38 पत्थर नं. 280/443 के किला नं. 5/1, 4/1 में (1विस्वा चौड़ा x 30 फुट लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जावे और अनावेदक संख्या 1 व 2 को उक्त रास्ता में आई भूमि के अनुपात में अवधारित प्रतिकर राशि दिए जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया। अप्रार्थी सं.–1 की तरफ से अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह ने उपस्थित होकर वकालतनामा के साथ राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.–1 के मध्य राजीनामा हो गया। मुताबिक राजीनामा अप्रार्थी सं.–1 अपनी कृषि भूमि तहसील अनूपगढ़ के ग्राम 6 पीजीएम मुरब्बा नं.–38 पत्थर नं.–280/443 के किला नं.–5/1 में 1¼ विस्वा चौडा x एक बीघा लम्बा यानि 165 फुट लम्बा रास्त प्रार्थीगण को देने हेतु सहमत है जिसकी ऐवज में प्रतिकर स्वरूप प्रार्थीगण ग्राम 6 पीजीएम मुरब्बा नं.–38 पत्थर नं.7280/443 के किला नं.–25 की 1¼ विस्वा चौडा x एक बीघा लम्बा यानि 165 फुट लम्बी (जो कि किला नं.–16 से चिपती हुई है) कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 को देने हेतु सहमत है तथा पक्षकारान उक्त राजीनामा अनुसार रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है तथा रास्ता में आई भूमि की ऐवज में प्रतिकर स्परूप प्रार्थीगण प्रार्थीगण ग्राम 6 पीजीएम के मुरब्बा नं.–38 पत्थर नं.–80/443 के किला नं.–25 भूमि में 1¼ विस्वा चौडा X एक बीघा लम्बा यानि 165 फुट लम्बी कृषि भूमि (जो कि किला नं.–16 से चिपती हुई है) अप्रार्थी सं.–1 के नाम दर्ज कर दी जावे जिसमें हम दोनों पक्षकारान को कोई एतराज नही है।

वांछित रास्ता के संबंध में तहसीलदार, अनूपगढ से मौका रिपोर्ट तलब की। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट चक 6 पीजीएम के मुरब्बा नं.–38 पत्थर नं.–280/443 के किला नं.–5/1 व 4/1 में एक बिस्वा स्वीकृत हेतु भू. अभिलेख निरीक्षक 2 पीजीएम बी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार चक 6 पीजीएम के पत्थर नं.–280/443 मुरब्बा नं.–38 के किला नं.71ता3,21ता25 कुल 2.024 हैक्टर कमाण्ड मय खाला भूमि प्रार्थीगण पवन कुमार पुत्र देवीलाल व नीलम स्वामी पत्नी पवन कुमार जाति स्वामी साकिन अनूपगढ़ के नाम से रहन पीएनबी अनूपगढ़ दर्ज रिकॉर्ड है। इसी पत्थर नं.–280/443 के मुरब्बा नं.–38 किला नं.–5,6,15,16 कुल 1.012 हैक्टर अनकमाण्ड मय खाला एसबीआई–एडीबी अनूपगढ़ सहित विद्यादेवी पत्नी लिछमणराम जाति कुम्हार के नाम दर्ज है। पत्थर नं.–280/443 के पूर्वी दिशा में स्थित पत्थर नं. –279/443 के किला नं.–1,10,11,20,21 में 2–2 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता चालू है। प्रार्थीगण पत्थर नं.–279/443 के किला नं.–4 व 5 में से 1–1 बिस्वा रास्ता आवागमन हेतु लेना चाहता है जो प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया सबसे निकटतम रास्ता है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता पक्षकारान ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वांछित रास्ता मुताबिक राजीनामा [illegible] किया। तथा यह भी निवेदन किया कि तहसीलदार, अनूपगढ़ द्वारा प्रार्थीगण की [illegible] मार्ग विद्यमान नहीं होने एवं वांछित मार्ग के अत्यान्तिक आवश्यकता को, लघुत्तम व [illegible] की रिपोर्ट दी है अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वांछित मार्ग स्वीकृत किया जावे।

पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। अंततः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थीगण कृषि भूमि का कोई स्वीकृत रास्ता नहीं लगता है एवं उक्त बाबत् रास्ता आत्यन्तिक आवश्यकता होने के कारण, लघुत्तम होने के कारण एवं केवल जोत के सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं होने के कारण स्वीकृत किया जाना समीचीन है। उक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत इस न्यायालय को किसी भी काश्तकार को अन्य काश्तकार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.01.03 14:19:53 IST
Reason: SelfAttested

भूमि से रास्ता खेत स्वीकृत करने की शक्तियाँ प्राप्त होने के कारण जिसके अनुरूप प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश ::

उपरोक्त विवेचन के आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के तहत न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की भूमि के लिए चक 6 पीजीएम तहसील अनूपगढ़ के पत्थर नं.–280/443 मुरब्बा नं.–38 के किला नं. –4/1, 5/1 में से 1¼ बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

उक्त आदेश का क्रियान्वयन निम्नानुसार प्रतिकर स्वरूप प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं.–1 एवं 2 को किए जाने की स्थिति में ही लागू होगा अन्यथा नहीं–

1. अप्रार्थी सं.–01 की रास्ता में आई भूमि के बदले चक 6 पीजीएम के मुरब्बा नं.–38 पत्थर नं. –280/443 के किला नं.–5/1 में प्रतिकर स्वरूप प्रार्थीगण के ग्राम 6 पीजीएम का पत्थर नं. –280/443 मुरब्बा नं.–38 के किला नं.–25 में से 1¼ बिस्वा चौडा X 165 फुट लम्बी कृषि भूमि जो किला नं.–16 से चिपती हुई है, अप्रार्थी संख्या–01 के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

2. राज्य सरकार (रकबा राज) की भूमि चक 6 पीजीएम के मुरब्बा नं.–38 पत्थर नं.–280/443 के किला नं.–4/1 के स्वीकृत रास्ता में आई भूमि 1¼ बिस्वा चौडा X 165 फुट लम्बी कृषि भूमि के ऐवज में राज.काश्त.(सरकारी) नियम, 1955 की धारा 70 की उपधारा–1 के अधीन संदेय प्रतिकर (मुआवजे) की राशि राज.स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित की गयी दरों (डी.एल.सी.दर) के दो गुणा राशि तहसील कार्यालय, अनूपगढ़ में जमा करवाने के आदेश प्रार्थीगण को दिये जाते है।

तहसीलदार अनूपगढ को आदेशित किया जाता है कि प्रतिकर राशि जमा होने के उपरान्त स्वीकृत रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर भू. अभिलेख निरीक्षक/पटवारी का उक्त रास्ता चालू करवाने हेतु पाबंद करें। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका तलनिया)
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.01.03 14:19:53 IST
Reason: SelfAttested